संवीक्षक की रिपोर्ट

बैंक का नाम	इलाहाबाद बैंक
बैठक	असाधारण आम सभा
दिनांक एवं समय	26 मार्च, 2019 पूर्वाह्न 10.30 बजे
स्थान	भाषा भवन आडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता 700 027

1. **संवीक्षक के रूप में नियुक्ति:**

हमें रिमोट ई-वोटिंग और भाषा भवन आडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता 700 027 में 26 मार्च, 2019 पूर्वाह्न 10.30 बजे आयोजित **इलाहाबाद बैंक** (इसके बाद **बैंक** के रूप में संदर्भित) की असाधारण आम सभा (ईजीएम) में संचालित वोटिंग हेतु संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

2. **बैठक के आयोजन संबंधी सूचना का प्रेषण:**

बैंक ने सूचित किया है कि शेयरधारकों के रजिस्टर और डिपाजिटरियों अर्थात नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेन्ट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध कराई गई लाभार्थ स्वामियों की सूची के आधार पर बैंक ने ईजीएम की सूचना का विप्रेषण पूरा किया है:

- 1 मार्च, 2019 को ई-मेल द्वारा 124095 शेयरधारकों को जिनके ई-मेल आईडी डिपाजिटरियों/बैंक के पास थे।

- <u>कूरियर द्वारा</u>

  2 मार्च, 2019 को 98924 शेसरधारकों को।

- <u>पंजीकृत डाक से</u>

  2 मार्च, 2019 को 3585 शेयरधारकों को।

3. **निर्धारित अंतिम तिथि**

रिमोट ई-वोटिंग और सभा में वोटिंग हेतु शेयरधारकों की पात्रता का निर्णय करने के प्रयोजन से निर्धारित अंतिम तिथि की गणना **मंगलवार, 19 मार्च, 2019** की गई है।

4. रिमोटई-वोटिंग

4.1 एजेंसी

बैंक ने रिमोट ई-वोटिंग प्लेटफार्म उपलब्ध कराने हेतु नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है।

4.2 रिमोट ई-वोटिंग

रिमोट ई-वोटिंग प्लेटफार्म **शनिवार, 23 मार्च, 2019 को पूर्वाहन 10.00 बजे से सोमवार 25 मार्च, 2019 अपराहन 5.00 बजे तक** खुला था और शेयरधारकों से अपेक्षित था कि वे एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-वोटिंग प्लेटफार्म पर, संकल्पों के संबंध में अपनी सहमति अथवा असहमति जताते हुए अपने वोट डालें।

5. ईजीएम में वोटिंग

5.1 यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन से कि जिन शेयरधारकों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट डाल दिए हैं वे आम सभा में पुन: वोट न डाल सकें, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20(4)(xiii) के अंतर्गत यथानिर्धारित अनुसार संवीक्षक रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति अवधि के बाद और वार्षिक आम सभा आरंभ होने से पूर्व शेयरधारकों से संबंधित केवल ऐसे विवरणों को देखेगा जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डाला है जैसे नाम, डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी, फोलियो नं., धारित शेयरों की सं किंतु उनके द्वारा दिए गए वोट के तरीके को नहीं देखेगा।

5.2 तदनुसार, एनएसडीएल, रिमोट ई-वोटिंग एजेंसी ने शेयरधारकों के नाम, डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी/ फोलियो नं., और शेयरधारकों की शेयरधारिता हमें उपलब्ध कराई हैं जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट डाले हैं।

5.3 बैंक ने सभा में उपस्थित होने वाले शयरधारकों के लिए सभा स्थल पर टैब वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराई है।

5.4 हमारे साथ, श्री अशोक बर्णवाल (डीपी आईडी क्लाइंट आईडी: आईएन 30372710010034), बैंक के शेयरधारक को भी असाधारण आम सभा में वोटिंग की संवीक्षा के प्रयोजन हेतु संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

6. गणना प्रक्रिया

6.1 सभा के अध्यक्ष द्वारा वोटिंग की गणना की घोषणा के बाद एनएसडीएल ने टैब आधारित वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराई थी।

6.2 सभा में वोटिंग समाप्त होने पर, एनएसडीएल ने उन शेयरधारकों की सूची हमें उपलब्ध कराई थी जिन्होंने अपने वोट डाले थे जिसमें उनकी शेयरधारिता का विवरण और विशेष संकल्प के संबंध में डाले गए वोट का विवरण था।

6.3 वोटों का समाधान प्राधिकरण/बैंक में दाखिल परोक्षियों के संबंध में बैंक और बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए), सीबी मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि. द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों के साथ किया गया।

6.4 हमने श्री देबू घोष और श्री सुभब्रत विश्वास के उपस्थिति में एनएसडीएल ई-वोटिंग प्लेटफार्म में रिमोट ई-वोटिंग परिणामों को अनब्लाक किया था और रिमोट ई-वोटिंग परिणामों को डाउनलोड किया था।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतर) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ई) के उपबंधों के अनुसरण में शेयरधारकों के मताधिकार, केन्द्र सरकार से इतर, बैंक के समस्त शेयरधारकों के कुल मताधिकार के 10.00% से अधिक नहीं हो सकती।

7. परिणाम

7.1 हमने पाया कि

क) 79 शेयरधारकों ने टैब वोटिंग के माध्यम से सभा में अपने वोट डाले।

ख) 143 शेयरधारकों ने संकल्प पर रिमोट ई-वोटिंगके माध्यम से वोट डाले।

7.2 दिनांक 10 मई, 2019 की एजीएम सूचना में समाविष्ट कार्यसूची मदों के संबंध में समेकित परिणाम संलग्न हैं।

7.3 उक्त परिणामों के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि दिनांक 27 फरवरी, 2019 की ईजीएम सूचना में समाविष्ट कार्यसूची विशेष **संकल्प अपेक्षित** बहुमत से पारित किया गया है।

ह./
शेयरधारक संवीक्षक
दिनांक: 26 मार्च, 2019
स्थान: कोलकाता

ह./
संवीक्षक

<u>समेकित परिणाम</u>

कार्यसूची मद 1: सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018 के विनियम 164 (1) के अनुसार निर्धारित प्रति इक्विटी शेयर रु. 32.44 (रूपये बत्तीस एवं पैसे चौवालीस मात्र) के प्रीमियम सहित, रु.42.44 (रूपये बयालिस एवं पैसे चौवालीस मात्र) प्रति इक्विटी शेयर के निर्ग मूल्य पर, रु.10.00 (रूपये दस मात्र) प्रत्येक के अंकित मूल्य के 162,48,82,186 (एकसौ बासठ करोड़ अड़तालीस लाख बयासी हजार एक सौ छियासी) इक्विटी शेयरों का नगद आधार पर भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को अधिमानी आधार पर कुल रु.6896.00 करोड़ (रूपये छः हजार आठ सौ छियान्बे करोड़ मात्र) तक सृजित, प्रस्तावित, जारी एवं आबंटित करना\

विवरण	**वोटों की संख्या और निम्न में समाविष्ट वोट**						**प्रतिशत (%)**
	रिमोट ई-वोट		**एजीएम में वोटिंग**		**कुल**		
	संख्या	**वोट**	**संख्या**	**वोट**	**संख्या**	**वोट**	
सहमति	135	167596034	66	1799581143	201	1967177177	**99.9997**
असहमति	8	3464	13	1867	21	5331	**0.0003**
कुल	143	167599498	79	1799583010	222	1967182508	**100.00**

उपर्युक्त परिणामों के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि दिनांक 27 फरवरी, 2019 की सूचना में समाविष्ट विशेष संकल्प **अपेक्षित** बहुमत से पारित किया गया है।

ह./
शेयरधारक संवीक्षक
दिनांक: 26 मार्च, 2019
स्थान: कोलकाता

ह./
संवीक्षक